राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 02/2019

दायर तारीख 25.01.2019

अनवान्

01 छीतरलाल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र 55 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादी

बनाम

1. नानालाल पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र 50 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
2. लक्ष्मण पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र 45 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
3. मदनलाल पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र 40 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)
4. भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादी।
2. श्री अनिल धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 व 4।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाडा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : २० / ११ /2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीग ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र **अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** आदेश 7 नियम 1–3 दी0प्र0स0 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी कि मौजा ग्राम जावदा प0ह0 जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे से दक्षिणी तरफ की 1 एक बीघा भूमि जरिए पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 31–07–1999 से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० हीरा पुत्र गोकल धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलियां से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं तभी से वादी का साधिकार निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे से दक्षिण तरफ की मात्र 1 एक बीघा भूमि ही क्रय की गई थी। किन्तु त्रुटिवश ग्राम पंचायत थडौदा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा पंचायत कोरम मे आराजी खसरा संख्या 70 के सम्पूर्ण रकबे 2 बीघा 17 बिस्वा का नामान्तरकरण वादी के पक्ष में खोलने का प्रस्ताव लिया जाकर नामान्तरकरण संख्या 283 फैसल कर दिया गया जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक बिजोलियां द्वारा भी अंकन दुरूस्त होना माना गया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के अधीनस्थ कर्मचारियो द्वारा नामान्तरकरण संख्या 283 मौजा जावदा को आगे की रोटेशन की जमाबन्दी मे दर्ज नहीं कर विवादित आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा का नामान्तरकरण त्रुटिवश स्व० हीरा पुत्र गोकल धाकड निवासी जावदा के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 में 3 जो कि उसके पुत्र है तथा उनकी पुत्री सीतादेवी एवं पत्नि स्व० नन्दूदेवी के नाम खोल दियां जबकि वास्तव मे विवादित आराजी खसरा संख्या 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम खुलना चाहिए था। क्योकि उक्त 1 बीघा भूमि बिलएवज 14,000/– चोदह हजार रूपयो मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व० हीरा पुत्र गोकल धाकड से जरिए पंजीकृत विक्रय प्रलेख दिनांक 16–03–99 जिसका पंजीयन

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

L – party (All)

दिनांक 31–07–1999 को हुआ। वादी द्वारा क्रय कर ली गई थी। वादी गैर जानकारी में रहा कि विवादित भूमि उसके नाम दर्ज कर दी गई होगी। किन्तु दिनांक 07–08–2018 को वादी द्वारा जब के०सी०सी बनवाने के लिए विवादित भूमि की जमाबन्दी एवं विक्रयपत्र की प्रति निकलवाई तब प्रथम बार इस सेवन इन्द्राजी की जानकारी हुई। तब से ही बिनायदावा उत्पन्न हो सतत रूप से जारी है। वादी विवादित भूमि आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा मे से 1 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के स्थान पर प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 31–07–99 के आधार पर है। विवादित भूमि मे विक्रेता स्व0 हीरा पुत्र गोकल धाकड के पुत्री सीतादेवी द्वारा अपना हिस्सा अपने भाईयो के पक्ष मे हक त्याग कर दिया गया है। इसलिए संशोधित वाद में उसे पक्षकार नही बनाया है।

वादी अनुतोष चाहता है कि – (अ) मौजा जावदा प0ह0 जावदा तहसील बिजौलियॉं कला जिला भीलवाडा स्थित आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी से विलोपित किया जाकर वादी को 1 बीघा भूमि का खातेदार घोषित करने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता अनिल धाकड़ ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता अनिल धाकड़ ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की श्री चरण सरख्या 1 अस्वीकार है हिरा पिता गोकल धाकड़ निवासी जावदा प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 6 के पिता है एव स्व. नन्दु के पति है उनके द्वारा आ.न. 70 मौजा जावदा रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा विक्रय नहीं की गई। वादपत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार है वर्तमान में वादीगण खसरा सं. 70 के खातेदार है नामान्तरण संख्या 283 की प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं होने से अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 3 सही है प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिरा जी धाकड़ के पुत्र है एवं 4 पत्नि है जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी सं. 6 पुत्री हैं। वादपत्र की चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है वादी आ.न. 70 का खातेदार ही नहीं है इस कारण उसके खाते में भुमि प्रतिवादीगण के नाम पर लगाना यह तर्क संगत नहीं है बल्कि आज दिनांक को प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार बतौर राजस्व रिकार्ड दर्ज अभिलेख है। वादपत्र की चरण संख्या 5 जानकारी नही होने से अस्वीकार है। वादपत्र की चरण संख्या 6 जानकारी नहीं देने के अस्वीकार हैं। वादपत्र की चरण संख्या – 7 अस्वीकार है वादी को दिनाक 7–8–2018 को वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ है। वादपत्र की चरण संख्या 8, 9, 10 विधिक होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र डी चरण संख्या 11 में वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है जो गलत होने से अस्वीकार प्रतिवादीगण वर्तमान मे वादग्रस्त आ.न. 70 का खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से अनिल धाकड ने दिनांक 13 11.2024 को No Instruction किया।

पत्रावली में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 16 03.1999 की पेश की जो प्रदर्श– 1 हैं, ना.स. 283 नामान्तरण रजिस्टर ग्राम जावदा की फो प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श– 2 हैं, नकल जमाबन्दी ग्राम जावदा ख.नं. नया 68 संम्वत् 2071–207 पेश की जो प्रदर्श– 3 हैं।

पत्रावली को साक्ष्यवादी के स्तर पर रखा गया।

साक्ष्यवादी में छितरलाल पुत्र देबीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवा जावदा तहसील बिजौलियां के बयान लिये गये जो शामिल पत्रावली हैं। साक्ष्यवादी में छितरल धाकड़ ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम जावदा पटवार हल्का जावदा की सरहद मे आरा संख्या 70 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वां में से मेरे द्वारा दक्षिणी दिशा की 1 एक बीघा प्रतिवादीगण के पिता हीरालाल पुत्र गोकल धाकड़ निवासी जावदा से 14000/– रूपयों में क्रय

लगातार पेज संख्या 03

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

थी और कब्जा मैंने प्राप्त कर लिया था। विवादित मेरे द्वारा क्रय की गई एक बीघा भूमि का नामान्तरण त्रुटिवस हिरालाल जी कि विधी वारीसान प्रतिवादीगण के नाम खुल गया मैंने 2018 में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए विवादित जमीन की जमाबन्दी निकलवाई तब मुझे इस गलत इन्द्राजी की जानकारी हुई। मौजा जावदा स्थित आराजी खसरा नं 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से दक्षिणी दिशा के एक बीघा रकबे की प्रतिवादी सं 1 से 3 के नाम पर गलत से दर्ज हुई खातेदारी समाप्त की जाकर मुझे एक बीघा रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में रखा गया।

साक्ष्य प्रतिवादी में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा किसी के बयान नहीं कराने साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी।

उक्त प्रकरण में पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया। साथ में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में चाहा गया अनुतोष मौजा जावदा प0ह0 जावदा स्थित आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी से विलोपित की जाकर वादी को 1 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किये जाने योग्य हैं। अतः प्रस्तुत वादपत्र में आदेश दिए जाते हैं कि :–

–: आदेश :–

वादपत्र वादीगण **अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार कर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री करने के आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम जावदा प0ह0 जावदा स्थित आराजी खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी से विलोपित की जाकर वादी को 1 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 20/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

...यालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

...ठासीन अधिकारी – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

संख्या 02 / 2019

दायर तारीख 25.01.2019

अनवान्

छीतरलाल पिता देबीलाल जाति धाकड उम्र 55 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

.................डिक्रीदार

बनाम

नानालाल पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र 50 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

लक्ष्मण पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र 45 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

मदनलाल पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र 40 साल व्यवसाय खेती निवासी जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज०)

भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.................मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : २० / ११ /20...

डिक्री दिनांक : २० / ११ /20...

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

यह मुकदमा आज वास्ते ... रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौ... ...री विद्वान अधिवक्ता वादी श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1, ...निल धाकड़ को हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम जावदा प0ह0 जावदा ... ...की खसरा न0 70 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में से 1 बीघा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से ... ...दारी से विलोपित की जाकर वादी को 1 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जात... उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नीज ....Nil..............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् ....
ा ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की
रीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० माह 11 वर्ष 2025 को
री किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
़्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
़्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
़्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
़ताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
़् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
़रिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ